भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1883

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

मणिपुर से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम का वापस लिया जाना

1883. श्री डी. राजाः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई इस टिप्पणी की ओर गया है कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (ए.एफ.एस.पी.ए.) के तहत सामान्य हालात बहाल करने के नाम पर सशस्त्र बलों को अनिश्चित समय के लिए तैनात करना हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाना होगा तथा यह नागरिक प्रशासन और सशस्त्र बलों की नाकामी का परिचायक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की परिस्थिति में क्या सरकार सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम शीघ्रातिशीघ्र खासकर मणिपुर से वापस लेने पर विचार करेगी?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) और (ख): जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2012 की रिट याचिक (दाण्डिक) सं. 129, एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्जीक्यूशन विक्टम फेमिलीज एसोसिएशन के मामले में पारित अपने दिनांक 8.7.2016 के निर्णय में टिप्पणी की है।

(ग): एएफएसपीए की आवधिक रूप से पुनरीक्षा की जाती है और सुरक्षा एजेंसियों तथा संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से जमीनी हालात का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है। मणिपुर के मामले में एएफएसपीए के अंतर्गत अशांत क्षेत्र की घोषणा मणिपुर राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है।